तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	10.12.20
	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र 251 ए की बाबत सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 21.12.20 को पेश हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी खींवसर
21.12.20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद तरतीब शा. मिसल किया जाकर आदेश की पालना हेतु तहसीलदार [illegible] पत्रावली [illegible] शुमार होकर बाद पालना दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी खींवसर

गर उक्त घोषित किये रास्ते में कोई अवरोधक हो तो रास्ता अवरोधक के पास रास्ता निकाला जाये। घोषित किये गये रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग में काम आयेगा।

सीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

ार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ को स्वीकार किया जाता है तथा इसी में पूर्व आदेश दिनांक 19.01.2016 को यथावत रखा जाता है।
अतः प्रार्थी के खेत ख.न. 1333 में आने जाने हेतु तहसीलदार खींवसर द्वारा अपनी पोर्ट में दर्शाया गया नजरी नक्शा बी,सी के अनुसार यानि की ख.न. 1334 में 20 फुट रस्ता घोषित न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.01.2016 को किया जा चुका है मगर करण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर पुनः उक्त प्रकरण को सुना जाकर स्वीकार निर्णय या है प्रार्थी ने पूर्व आदेश दिनांक 19.01.2016 की पालना में प्रतिकर राशि 8872/– प्रार्थी/राजकोष में जमा करवाई जा चुकी हो तो उक्त आदेश की पालना में उपरोक्त र्थी से अप्रार्थी को दीलवाई जावे अगर अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो में जमा की जावे। अगर उक्त घोषित किये रास्ते में कोई अवरोधक हो तो रास्ता क के पास घुमाकर रास्ता निकाला जाये। घोषित किये गये रास्ते पर किसी भी ान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी उपयोग उपभोग में काम आयेगा। तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता घोषित किया है ।

उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की ालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 21.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर